

संख्या: 1:05:138:II :CS

दिनांक: 06.02.2026

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) <u>MUMBAI – 400 051.</u> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	BSE Limited, Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, <u>MUMBAI – 400 001.</u> बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
--	---

विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम - सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार सूचना।

महोदया/महोदय,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज अर्थात् 06.02.2026 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया है और उन्हें मंजूरी दे दी है:

1. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की 'सैद्धांतिक' मंजूरी के अनुसार, पीएफसी ने आरईसी लिमिटेड में सरकार की 52.63% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तदनुसार, पीएफसी और आरईसी अब होल्डिंग और सहायक कंपनियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, 1 फरवरी, 2026 को माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 के भाषण के पैरा 43 के तहत एक घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: -

“43. 'विकसित भारत' के लिए एनबीएफसी के दृष्टिकोण को ऋण संवितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के स्पष्ट लक्ष्यों के साथ रेखांकित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी में व्यापकता प्राप्त करने और दक्षता में सुधार करने के लिए, पहले कदम के रूप में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिकल कंसेप्शन कॉर्पोरेशन के पुनर्गठन का प्रस्ताव है।”

पीएफसी के निदेशक मंडल ने बजट घोषणा पर संज्ञान लिया और पीएफसी और आरईसी के विलय के रूप में पुनर्गठन के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि विलय के बाद भी, पीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के तहत एक "सरकारी कंपनी" बनी रहे।

विस्तृत विलय योजना के अंतिम रूप से तैयार हो जाने के बाद, आवश्यक मंजूरी मिलने पर इसे साझा किया जाएगा।

बोर्ड की बैठक दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई और बजे समाप्त हुई।

यह आपके सूचनार्थ और रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com